



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072022-237563  
CG-DL-E-26072022-237563

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 528]  
No. 528]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 26, 2022/श्रावण 4, 1944  
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 26, 2022/SHRAVANA 4, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 601(अ).—महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग) की दिनांक 24 मई, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 386 (अ) के अधिक्रमण में केंद्र सरकार, एतद्वारा, श्री संजय कुमार, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के स्थान पर श्री सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को अगले आदेश होने तक दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में एक पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम-भाग(2)]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS****(PHRD Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th July, 2022

**G.S.R. 601(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways (PHRD Division) No. G.S.R.386 (E) dated 24<sup>th</sup> May, 2022, the Central Government hereby appoints **Shri Sushil Kumar Singh, Joint Secretary**, Ministry of Ports, Shipping & Waterways, in place of Shri Sanjay Kumar, Additional Secretary & Financial Advisor, as an Ex-officio Member of the Board of Deendayal Port Authority until further orders.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour-Part(2)]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.